न्यूज़ टुडे

विश्व बैंक समूह ने "चूजिंग आवर फ्यूचर: एजुकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की

- रिपोर्ट में कहा गया है कि **जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी और चरम मौसमी घटनाएं बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बाधित** कर रही हैं। साथ ही, रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि **शिक्षा प्रणाली जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से निपटने और अनुकूलन के लिए युवाओं को सशक्त, तैयार व कौशल प्रदान** कर सकती है।
- **रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर**
  - **स्कूली शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण स्कूल बंद होने से देशों में सालाना औसतन 11 शिक्षा दिवसों का नुकसान होता है। कम आय वाले देश इससे अधिक प्रभावित हैं।
  - **जलवायु जागरूकता पर सूचना संबंधी अंतराल: निम्न और मध्यम आय वाले देशों** में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता **अभी भी केवल 65% है।**
  - **स्किलिंग/ री-स्किलिंग/ अप-स्किलिंग की आवश्यकता:** वैश्विक ग्रीन ट्रांजीशन के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी-
    - अनुमानित 100 मिलियन नई नौकरियों के लिए कुशल श्रमिकों और कामगारों की;
    - अधिकांश मौजूदा नौकरियों के लिए अप-स्किल्ड कामगारों की; तथा
    - अन्य 78 मिलियन नौकरियां जो कि समाप्त हो जाएंगी, उनके लिए री-स्किल्ड कामगारों की।
  - **शिक्षा वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में मदद कर सकती है:** भारत में, बच्चों तक जलवायु-संबंधी पहुंच से न केवल उनके जलवायु-अनुकूल व्यवहार में वृद्धि हुई, बल्कि **माता-पिता के जलवायु-अनुकूल व्यवहार में लगभग 13% की वृद्धि** हुई है।
- **रिपोर्ट में सरकारों के लिए की गई सिफारिशें**
  - **जलवायु अनुकूल व्यवहार परिवर्तन के लिए स्कूली शिक्षा का उपयोग करना:** इसके लिए स्कूली बच्चों के आधारभूत कौशल में सुधार एवं STEM शिक्षा में निवेश करना चाहिए। साथ ही, स्कूली बच्चों को अच्छी तरह से डिजाइन की गई जलवायु शिक्षा प्रदान करने पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए।
    - STEM **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित** का संक्षिप्त रूप है।
  - **ग्रीन स्किलिंग और नवाचार के लिए तृतीयक शिक्षा का उपयोग करना:** मजबूत आधार, लचीले माध्यम और सूचना प्रवाह के माध्यम से छात्रों की अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।
  - **शिक्षा प्रणालियों का संरक्षण करना:** इसके लिए शिक्षा प्रणाली को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूलनीय और लचीला बनाने का प्रयास करना चाहिए।

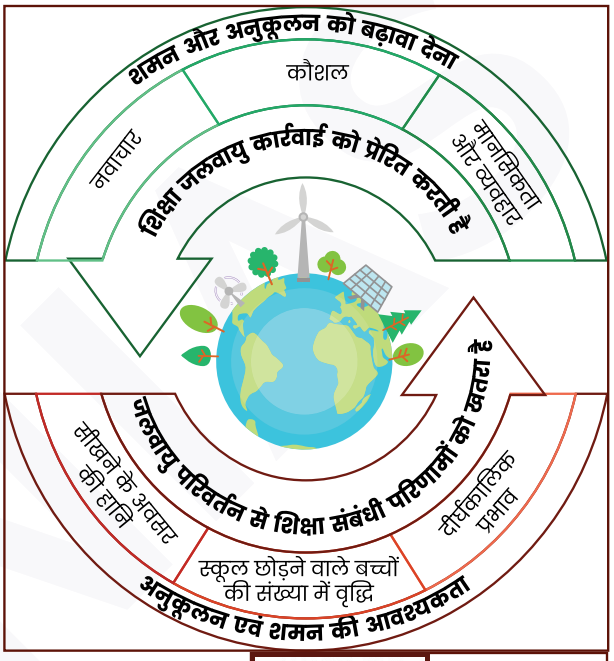

Scan Here to Download

औद्योगिक विकार्बनीकरण के लिए 'ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया गया

- **संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और क्लाइमेट क्लब** ने COP-29 में औद्योगिक क्षेत्रक के विकार्बनीकरण के लिए 'ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म' (GMP) लॉन्च किया।
  - UNIDO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य **औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, उसे गतिशील बनाना और उसमें तेजी लाना** है।
  - क्लाइमेट क्लब एक **अंतर-सरकारी मंच** है। यह **जलवायु कार्रवाई और उद्योगों के विकार्बनीकरण में तेजी** लाने पर सहयोग करता है।
- **ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म (GMP) के बारे में**
  - **उद्देश्य:** विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु-अनुकूल औद्योगिक विकास में तेजी लाने में सक्षम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग एवं साझेदारी को बढ़ावा देना।
  - **सचिवालय:** GMP **क्लाइमेट क्लब का एक समर्थन तंत्र** है, जिसका **सचिवालय UNIDO** में होगा।
  - **यह कैसे कार्य करेगा?**
    - यह ऊर्जा एवं उत्सर्जन-गहन औद्योगिक क्षेत्रकों में उत्सर्जन को कम करने के लिए **देश-विशिष्ट जरूरतों को वैश्विक तकनीकी और वित्तीय सहायता से जोड़ेगा**।
    - यह **सभी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं** के लिए खुला होगा।
- **औद्योगिक विकार्बनीकरण क्या है?**
  - **परिभाषा:** यह उन ऊर्जा-दक्ष और संधारणीय परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है, जो उद्योगों के समग्र कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है।
  - **मुख्य रणनीतियां:** कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। इसके अलावा, नवीकरणीय स्रोतों; कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण आदि के माध्यम से अंतिम उपयोग ऊर्जा का विकार्बनीकरण करने का प्रयास करना।
  - **आवश्यकता:** 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रक का विकार्बनीकरण करना अति आवश्यक है।
    - वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों द्वारा होने वाले कुल CO_2 उत्सर्जन के एक चौथाई के लिए अकेले औद्योगिक गतिविधियां जिम्मेदार हैं।

विकार्बनीकरण के लिए शुरू की गई विविध पहलें

- **वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें:**
  - **इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव (2021):** यह **यूनाइटेड किंगडम और भारत** के सह-नेतृत्व वाली एक पहल है। यह कम कार्बन वाली औद्योगिक सामग्रियों की वैश्विक मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है।
  - **उद्योगों के विकार्बनीकरण के लिए गठबंधन:** यह अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा समन्वित है। इसका उद्देश्य औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं का विकार्बनीकरण करना है।
- **भारत द्वारा शुरू की गई पहलें**
  - **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना:** यह उद्योगों के लिए एक ऊर्जा दक्षता क्रेडिट ट्रेडिंग योजना है। यह ऊर्जा गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक विनियामक टूल है।
  - **इस्पात मंत्रालय** नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए **इस्पात क्षेत्रक को कार्बन मुक्त** करने के लिए काम कर रहा है।

UNHCR ने 2025 में वैश्विक शरणार्थी संकट से निपटने के लिए 'ग्लोबल अपील 2025' लॉन्च की

- UNHCR ने दुनिया भर में लाखों **शरणार्थियों, विस्थापित लोगों और राज्य विहीन लोगों** की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने तथा स्थायी समाधान लागू करने हेतु **2025 के लिए 10 बिलियन डॉलर की अपील** लॉन्च की है।
  - **यह निम्नलिखित से संबंधित है-**
    - यह 2025 के लिए UNHCR की योजनाओं को रेखांकित करेगी;
    - यह शरणार्थियों की सुरक्षा, सहायता एवं सशक्तीकरण के लिए UNHCR द्वारा वित्त-पोषण में मदद करेगी; तथा
    - यह शरणार्थियों की स्थितियों का स्थायी समाधान खोजने में सहायता करेगी।
- **वैश्विक शरणार्थी संकट**
  - शरणार्थी वह व्यक्ति होता है, जो **उत्पीड़न, युद्ध, संघर्ष या हिंसा के कारण अपने देश से पलायन के लिए मजबूर हुआ है** या किया गया है और वह सुरक्षा की तलाश में **अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार** कर गया है।
    - **UNHCR की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, 2023** के अनुसार **दुनिया भर में 117.3 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हैं। इनमें 40% बच्चे हैं।**
  - **कारण:** संघर्ष और हिंसा (जैसे- सीरिया), उत्पीड़न (जैसे- म्यांमार), जलवायु परिवर्तन प्रभाव आदि।
- **चुनौतियां**
  - **शरणार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां:** भोजन, आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव; मुख्यधारा के समाज द्वारा भेदभाव और बहिष्कार; तस्करी के प्रति सुभेद्य आदि।
  - **मेजबान द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां:** जनसंख्या में अचानक वृद्धि; स्वास्थ्य सेवा जैसे स्थानीय संसाधनों पर दबाव; बेरोजगारी और सामाजिक तनाव में वृद्धि आदि।
- **शरणार्थी संकट के समाधान हेतु शुरू की गई पहलें**
  - **ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजी (2018):** यह शरणार्थियों और उनके मेजबान देशों की मदद के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
  - **ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम:** यह शरणार्थियों और उनके मेजबान समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने तथा उनका समाधान खोजने के लिए हर 4 साल में आयोजित किया जाता है।
  - **संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी:** इसे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1949 में स्थापित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) के बारे में

- **मुख्यालय: जिनेवा** (स्विट्जरलैंड)।
- **उत्पत्ति:** 1950 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा स्थापित।
- **उद्देश्य:** संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों को छोड़ने को मजबूर लोगों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना।
  - UNHCR **136 देशों** में कार्य कर रहा है।
- **उपलब्धि:** इसे 1954 और 1981 में **नोबेल शांति पुरस्कार** मिला था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने "मानवता के खिलाफ अपराधों पर संधि" पर वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने वाला संकल्प अपनाया

- हाल ही में, UNGA की छठी समिति ने **'मानवता के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और दंड पर संयुक्त राष्ट्र प्लेनिपोटेंटियरीज सम्मेलन'** को मंजूरी दी।
  - UNGA की छठी समिति संयुक्त राष्ट्र महासभा में **कानूनी प्रश्नों पर विचार करने वाला प्राथमिक मंच** है।
  - मानवता के खिलाफ अपराध को **रोम संविधि (Rome Statute)** में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार **किसी देश या संगठन की नीति** के रूप में किसी नागरिक आबादी के खिलाफ **व्यापक या व्यवस्थित हमला मानवता के खिलाफ अपराध** है। इसमें **हत्या, बलात्कार, यातना, रंगभेद, निर्वासन और उत्पीड़न** जैसे विशिष्ट आपराधिक कृत्य शामिल हैं।
- **मानवता के खिलाफ अपराधों पर संधि की आवश्यकता क्यों है?**
  - **किसी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधि का अभाव:** मानवता पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में गैर-सशस्त्र संघर्ष के दौरान किए जा सकने वाले संभावित अपराधों का पर्याप्त रूप से **उल्लेख नहीं** किया गया है।
    - जैसे कि युद्ध के दौरान नियमों पर **जिनेवा कन्वेंशन** में इस तरह के अपराधों का स्पष्ट वर्णन **नहीं** है।
  - **देशों के लिए व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करना:** कोई विशिष्ट संधि मानवता के खिलाफ अपराधों के **पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने के लिए नया मार्ग** प्रदान करेगी। साथ ही, देशों को ऐसे **अपराधों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क** भी प्रदान करेगी।
  - **वैश्विक सहयोग के लिए आवश्यक:** यह संधि **पारस्परिक कानूनी सहायता** जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से अन्य देशों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा देगी।

मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए मौजूदा तंत्र

- **मानवता पर अंतर्राष्ट्रीय कानून**
  - चार जिनेवा कन्वेंशंस (1949);
  - जैविक हथियार कन्वेंशन (1972);
  - रासायनिक हथियार कन्वेंशन (1993);
  - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना के लिए रोम संविधि (1998) आदि।
- **मानवता पर भारत में कानूनी फ्रेमवर्क**
  - संविधान का **अनुच्छेद 51** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि के दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

UNFCCC का COP-29 सम्मेलन 'बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट' के साथ संपन्न हुआ

- इस पैक्ट में विविध महत्वपूर्ण जलवायु लक्ष्यों और योजनाओं को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए- **जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG); अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य; और शर्म अल-शेख शमन महत्वाकांक्षा एवं कार्यान्वयन कार्य कार्यक्रम** आदि।
- **पैक्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
  - **जलवायु वित्त पर NCQG:** इसका उद्देश्य देशों को जलवायु आपदाओं के खिलाफ अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लाभों को साझा करने में मदद करने के लिए एक नया वित्त लक्ष्य प्रदान करना है।
  - **अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य**
    - **बाकू अनुकूलन रोडमैप:** इसका उद्देश्य पेरिस समझौते के **अनुच्छेद 7** के अनुरूप अनुकूलन संबंधी कार्रवाई के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना है।
      - **अनुच्छेद 7, पैराग्राफ 1:** यह सतत विकास में योगदान देने की दृष्टि से अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए '**अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य**' स्थापित करता है।
    - **वृद्धिशील और परिवर्तनकारी दोनों अनुकूलन दृष्टिकोणों को मान्यता देना:** यह लोगों के कल्याण की रक्षा और वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए UAE फ्रेमवर्क को लागू करता है।
  - **शर्म अल-शेख शमन महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन कार्य कार्यक्रम**
    - **कोई 'वन साइज फिट्स आल' दृष्टिकोण नहीं:** ऐसा राष्ट्रीय और स्थानीय परिस्थितियों की विविधता के कारण किया गया है।
    - **सहयोग:** शमन कार्यों पर शहरों, उपराष्ट्रीय प्राधिकारियों, स्थानीय समुदायों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच आपस में सहयोग किया जाएगा।
    - **एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के निर्माण पर चर्चा:** सम्मेलन में शमन कार्यों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने पर भी चर्चा की गई।

UNFCCC COP-29 ने जलवायु वित्त पर "नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (New Collective Quantified Goal: NCQG)" को अपनाया

- NCQG के तहत देशों को जलवायु आपदाओं से अपने **लोगों और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने में मदद करने के लिए वित्त-पोषण का नया लक्ष्य** निर्धारित किया गया है। साथ ही, यह देशों को **स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मिली सफलता के लाभों को साझा करने** में मदद करने का प्रावधान भी करता है।
  - गौरतलब है कि NCQG **पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का एक प्रमुख प्रावधान** भी है। इसे **2025 के बाद विकासशील देशों को उनकी जलवायु कार्रवाइयों में सहायता करने के लिए वित्त-पोषण का नया लक्ष्य** निर्धारित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- **NCQG के तहत निर्धारित जलवायु वित्त-पोषण लक्ष्य**
  - **बाकू वित्त-पोषण लक्ष्य:** इसके तहत **2035 तक विकासशील देशों को जलवायु वित्त के रूप में 1.3 ट्रिलियन डॉलर** उपलब्ध कराने का नया वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - **विकासशील देशों को ट्रिपल फाइनेंस:** इसमें विकसित देशों द्वारा **2035 तक विकासशील देशों के लिए कम-से-कम 300 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष जुटाने** का लक्ष्य निर्धारित किया है।
    - गौरतलब है कि **2009 में UNFCCC के पक्षकारों ने 2020 तक सालाना 100 बिलियन डॉलर** जुटाने का फैसला किया था। बाद में इस लक्ष्य को 2025 तक बढ़ा दिया गया था।
- **भारत का रुख**
  - **भारत** ने COP-29 सम्मेलन के दौरान **जलवायु वित्त पर NCQG समझौते को अस्वीकार** कर दिया है। **इसके लिए भारत ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:**
    - **वित्त-पोषण पर्याप्त नहीं है:** NCQG के तहत **2035 तक सालाना 300 बिलियन डॉलर जुटाने** का लक्ष्य रखा गया है। भारत के अनुसार **यह राशि बहुत कम** है और इसे प्राप्त करने के लिए भी विकसित देशों को **2035 तक का लंबा समय** दिया गया है।
    - निर्णय लेने में **सभी पक्षकारों के सुझाव पर विचार नहीं** किया गया है। इस तरह **नया वित्त-पोषण लक्ष्य ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं को शामिल नहीं** करता है।
  - NCQG को अस्वीकार करने के भारत के पक्ष का **नाइजीरिया और मलावी** जैसे देशों ने भी समर्थन किया है।

अन्य सुर्ख़ियां

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की **91वीं आम परिषद की बैठक दिल्ली में** आयोजित की गई।
- **NCDC के बारे में**
  - उत्पत्ति: इसकी स्थापना **1963** में संसद के एक अधिनियम द्वारा **सांविधिक कॉर्पोरेशन** के रूप में की गई थी। यह केंद्रीय **सहकारिता मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।
  - **NCDC के कार्य:**
    - कृषि उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात आदि के लिए कार्यक्रमों की **योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना तथा उनका वित्त-पोषण करना।**
    - ग्रामीण औद्योगिक **सहकारी क्षेत्रकों में परियोजनाओं को वित्त-पोषित** करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में **जल संरक्षण, सिंचाई जैसी कुछ अधिसूचित सेवाओं के लिए वित्त-पोषण** प्रदान करना।
    - प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सहकारी समितियों के वित्त-पोषण के लिए **राज्य सरकारों को ऋण एवं अनुदान देना।**

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)

- **अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) का वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत** में आयोजित किया जा रहा है।
  - ICA के 130 वर्षों के इतिहास में **पहली बार यह सम्मेलन भारत में** आयोजित हो रहा है।
  - **सम्मेलन की थीम है:** "सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है।" यह थीम भारत सरकार के "सहकार से समृद्धि" विज़न के अनुरूप है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के बारे में**
  - **स्थापना:** इसे **1895 में लंदन** में स्थापित किया गया था।
  - यह **वैश्विक संगठन** दुनिया भर में सहकारी समितियों को **एकजुट** करने के अलावा उनका **प्रतिनिधित्व** भी करता है तथा उन्हें सेवा भी प्रदान करता है।
  - **सदस्य: 105 देशों के 306** सदस्य संगठन।
  - यह **सहकारी आंदोलन के लिए सर्वोच्च संगठन** के रूप में कार्य करता है। यह **सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और समन्वित कार्रवाई** के लिए एक वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA)

- हाल ही में, **आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की संयुक्त समिति की छठी बैठक नई दिल्ली** में आयोजित की गई।
- **AITIGA के बारे में**
  - इस समझौते पर **अगस्त 2009 में हस्ताक्षर** किए गए थे। यह समझौता **01 जनवरी, 2010 को लागू** हुआ था।
  - इसके लागू होने से दक्षिण और **दक्षिण-पूर्व एशिया में विश्व के एक बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण** का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
  - **सदस्य:** आसियान के सभी सदस्य देश और भारत।
    - **आसियान के सदस्य हैं-** ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
  - **महत्त्व:** एक संगठन के रूप में आसियान **भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक** है।
    - भारत के वैश्विक व्यापार में **आसियान की लगभग 11% हिस्सेदारी** है।

व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA)

- हाल ही में, भारत के वाणिज्य सचिव ने **भारत तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA)** के कार्यान्वयन के लिए नॉर्वे की यात्रा की।
- **यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बारे में**
  - इसकी स्थापना **1960** में की गई थी।
  - यह **आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का एक अंतर-सरकारी संगठन** है।
  - यह सदस्य देशों के बीच **मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण** को बढ़ावा देता है।
- **भारत-EFTA के मध्य TEPA के बारे में**
  - इस पर **मार्च 2024 में हस्ताक्षर** किए गए थे।
  - **उद्देश्य:** अगले **15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** करना और **प्रत्यक्ष रोजगार के 1 मिलियन अवसर** पैदा करना।
  - समझौते में **वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, रूल ऑफ ओरिजिन, व्यापार सुविधा, व्यापार उपाय, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, सेवाओं के मामले में बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकार** आदि पर जोर दिया गया है।

दिव्यांग-जनों के लिए पदों की पहचान हेतु दिशा-निर्देश

- केंद्र सरकार ने **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** के अनुरूप **दिव्यांग-जनों से भरे जाने वाले पदों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।
  - इसका उद्देश्य दिव्यांग-जनों के नियोजन में **समावेशिता, निष्पक्षता और एकरूपता** सुनिश्चित करना है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
  - **पदों की पहचान:** न्यूनतम **40% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की समय-समय पर समीक्षा और पहचान अनिवार्य** है।
  - **पदोन्नति हेतु पदों को आरक्षित करना:** यदि कोई पद दिव्यांग-जनों के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो उससे जुड़े सभी पदोन्नति वाले पद भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहेंगे।
  - **समितियों का गठन:** मंत्रालय और विभाग **सभी पदों का आकलन करके दिव्यांग-जनों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान हेतु समितियों का गठन करेंगे।**

क्वांटम टनलिंग

- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने **ऑप्टिकल ट्विजर्स** का उपयोग करते हुए **क्वांटम टनलिंग** के माध्यम से परमाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियंत्रित तरीके से स्थानांतरित करने में सफलता हासिल की है।
  - **ऑप्टिकल ट्विजर्स को लेजर ट्रैप** के रूप में भी जाना जाता है। यह एक उन्नत उपकरण है, जो **केंद्रित लेजर बीम का सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स (जैसे कोशिकाओं) को ट्रैप करने और उनमें हेरफेर** करने के लिए उपयोग करता है।
- **क्वांटम टनलिंग के बारे में**
  - **क्वांटम टनलिंग** क्वांटम यांत्रिकी में एक विशिष्ट परिघटना है, जिसमें एक कण **संभावित ऊर्जा अवरोध** को पार कर सकता है, भले ही उसकी **गतिज ऊर्जा** उस अवरोध को पार करने के लिए अपर्याप्त हो।
  - यह परिघटना **क्वांटम स्तर पर कणों की तरंग जैसी प्रकृति के कारण संभव** होती है।

बाल्बेक और टायर

- **लेबनान** में मौजूद यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल **बाल्बेक, टायर और अंजार** बार-बार होने वाले हमलों से खतरे में पड़ रहे हैं।
- **बाल्बेक, टायर और अंजार के बारे में**
  - **बालबेक:** बालबेक, अपनी भव्य **संरचनाओं के साथ-साथ सर्वोत्कृष्ट** शाही रोमन स्थापत्य कला के बेहतरीन नमूनों में से एक है।
  - **टायर:** यह **महान फोनीशियन शहर** अपनी समुद्री शक्ति के लिए जाना जाता था। यहां के निवासियों ने **कैडिज़ और कार्थेज जैसे समृद्ध उपनिवेशों** की स्थापना की थी। हालांकि, धर्मयुद्धों के अंत में इस शहर की ऐतिहासिक भूमिका में गिरावट आ गई थी।
    - एक किंवदंती के अनुसार, **बैंगनी रंग की खोज** टायर शहर में हुई थी।
  - **अंजार:** अंजार शहर की स्थापना 8वीं सदी की शुरुआत में **खलीफा वालिद प्रथम** ने की थी। अंजार का नियमित लेआउट और इसकी संरचनाएं **उमय्यद काल** की **स्थापत्य कला** को उजागर करती हैं। अंजार, अपने खंडहरों के माध्यम से, उस काल की समृद्धि, शासन व्यवस्था, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रदर्शन करता है। यह **उमय्यद काल के दौरान नगर नियोजन** का बेहतरीन उदाहरण है।

प्रोजेक्ट वीर गाथा

- **प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0** में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के **1.76 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों** ने भाग लिया।
- **प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में**
  - **मंत्रालय:** यह **रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त** पहल है।
  - **प्रारंभ:** इसे **2021** से आयोजित किया जा रहा है।
  - **उद्देश्य:** स्कूली छात्रों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करना। इसके लिए छात्रों को वीरता पुरस्कार जीतने वाले वीर पुरुषों की वीरता, निस्वार्थ बलिदान और साहस की प्रेरक कहानियां तथा जीवन की गाथा सुनाई जाती है।
  - **दायरा:** यह प्रोजेक्ट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्कूलों के साथ-साथ CBSE से संबद्ध सभी स्कूलों के लिए भी खुला है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

राजराज चोल (985 ई. – 1014 ई.)

- **तमिलनाडु के तंजावुर में साधया विड़ा** के दौरान प्रसिद्ध चोल सम्राट **राजराज चोल की जयंती** मनाई गई।
  - **साधया विड़ा उत्सव** तमिल माह **अइप्पासी** में मनाया जाता है। यह उत्सव बृहदेश्वर मंदिर में अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य तक चलता है।
- **राजराज चोल के बारे में (985 ई. से 1014 ई.)**
  - **अरुमोलिवर्मन** के शासनकाल के दौरान चोल शक्ति अपने चरम पर थी। अरुमोलिवर्मन ने **राजराज प्रथम की उपाधि धारण** की थी।
  - **कंडालूर सलई के नौसैनिक युद्ध** में राजराज ने **चेर शासक भास्कररविवर्मन** को पराजित किया था।
  - उसने **श्रीलंका पर भी आक्रमण** किया था तथा उसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा, **राजराज ने मालदीव पर भी विजय** प्राप्त की थी।
  - उसने **1010 ई. में तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर/ बृहदेश्वर मंदिर** का निर्माण पूरा कराया था।